आर्थिक समीक्षा 2023-24

- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी, 2023 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश किया। जिसका अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए के लिए वास्तविक आधार पर **6.5 प्रतिशत** रहेगी।
- इस अनुमान की बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी और घरेलू तौर पर आरबीआई द्वारा किए गए अनुमानों से तुलना की जा सकती हैं।
- वित्त वर्ष 2024 में कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के लेखा वितरण के मजबूत होने के ऋण अदायगी और पूँजीगत निवेश शुरू होने का अनुमान हैं।
- **भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के साथ-साथ विकास की क्षमता में वृद्धि -**
  - वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।
  - ₹ 9.0 लाख करोड़ की निवेश क्षमता के साथ राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन।
  - दिसम्बर, 2022 में ₹ 782 करोड़ के साथ यूपीआई लेनदेन उच्चतम स्तर पर।
  - वैश्विक स्तर पर भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति।
  - पिछले वर्ष में प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढ़कर दोगुनी हुई।
  - डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क।
- मार्च, 2023 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक स्तर पर अर्थव्यवस्था में **7 प्रतिशत** क दर से वृद्धि होगी। पिछले वित्तीय वर्ष विकास दर **8.7 प्रतिशत** रही थी।
- वित्त वर्ष 2023 में **6.5-7.0 प्रतिशत** रहेगी।
- **सामाजिक अवसंरचना और रोजगार: व्यापक व्यवस्था-**
  - वित्त वर्ष 2023 से 2027 तक 14500 से अधिक पीएम 'श्री' स्कूलों का निर्माण किया जाएगा।
  - आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी की संख्या में वृद्धि।
  - शहरी रोजगार महामारी पूर्व स्तर के नजदीक पहुँचा।
  - ईपीएफओ आधारित नेट पेरोल में वृद्धि- वित्त वर्ष 2023 [नवम्बर तक] में 105.4 लाख।
- विकसित अर्थव्यवस्था में मंदी के रूझानों से मौद्रिक मजबूती में कमी आई है। भारत में घरेलू मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशत से कम रही है। जिससे देश में पूँजीगत प्रवाह बढ़ा हैं।
- उद्योग जगत का रूझान बेहतर हुआ है, जिससे निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि हुई हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम [एमएसएमई] क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि की गई है, जो जनवरी-नवम्बर, 2022 के दौरारान औसत आधार पर **30.5 प्रतिशत** रही और केन्द्र सरकार की आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना [ईसीएलजीएस] का समर्थ मिला।
- इसके अलावा बैंक ऋण में वृद्धि हुई तथा जोखिम भरे बॉन्ड मार्केट में निवेश बढ़ा।
- केन्द्र सरकार का पूँजीगत व्यय [कैपेक्स], जो वित्त वर्ष 2023 के आठ महीनों के दौरान **63.4 प्रतिशत** की दर से बढ़ा, यह वर्तमान वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने का प्रमुख कारण रहा है।
- आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए महंगाई दर **6.8 प्रतिशत** रहेगी, जो इसके लक्ष्य सीमा से अधिक हैं।
- निर्माण गतिविधियों में प्रवासी क्षमिकों के लौटने से, निर्माण सामग्री के जमा होने की प्रक्रिया, जो पिछले साल के **42 महीनों** के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में **33 महीनों** की रही है, में महत्त्वपूर्ण कमी दर्ज करने में मदद मिली है।
- **अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति 2022-23**- मोट तौर पर सभी क्षेत्रों में रिकवरी- वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी के 6.0-6.8 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान
  - वित्त वर्ष 2015 से अब तक इस वर्ष के एच-1 में निजी खपत उच्चतम स्तर पर।
  - उत्पादन गतिविधियों के प्रोत्साहन से क्षमता उपयोग में वृद्धि।
  - खुदरा मुद्रा स्फीति नवम्बर, 2022 में आरबीआई के लक्ष्य रेंज में पहुँची।
  - निजी पूँजीगत व्यय में तेजी।
  - अप्रैल-दिसम्बर, 2022 के दौरान भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन अन्य ईएमई के मुकाबले बेहतर रहा।
  - अप्रैल-नवम्बर, 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि।
- **मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता**
  - आरबीआई ने पॉलिसी दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि की।
  - सकल गैर-निष्पादित सम्पत्ति अनुपात सात साल के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर
  - अप्रैल 2022 से गैर-खाऋ ऋण वृद्धि दोहरे अंकों में
  - 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर स्थित यील्ड
  - घरेलू संस्थगत निवेशकों का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बहिर्प्रवाह के लिए एक प्रतिकारी बल के रूप में कार्य।
  - भारत ने वित्त वर्ष 2023 [अप्रैल-दिसम्बर] में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा।
- **उद्योग :** वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्यवर्धन 3.7 बढ़ा
  - सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रही।
  - पीएमआई निर्माण विस्तार क्षेत्र में रहा।
  - स्वस्थ्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश।
  - जनवरी, 2022 से एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में 30 पतिशत तक की वृद्धि
  - वित्त वष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग तीन गुणा वृद्धि।
  - वित्त वर्ष 2022 में फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह में चार गुणा बढ़ोत्तरी।

- समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2023 तक पिछले 7 वर्षों में बजटीय पूँजीगत व्यय में 2.7 गुणा वृद्धि हुई, जिससे पूँजीगत व्यय को मजबूती मिली। वस्तु एवं सेवाकर की शुरुआत और दिवाला एवं दीवालियापान संहित जैसे रचनात्मक सुधारों से अर्थव्यवस्था की क्षमता और पारदर्शिता बढ़ी और वित्तीय अनुशासन एवं बेहतर अनुपालन सुनिश्चित हुआ।
- अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर, 2022 के अनुसार, वैश्विक विकास का वर्ष 2023 में 3.2 प्रतिशत से धीमा होकर वष 2023 में 2.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक उत्पादन में धीमी वृद्धि के साथ बढ़ती अनिश्चितता व्यापार वृद्धि को कम कर देगी। वैश्विक व्यापाक में वृद्धि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन द्वारा वष 2022 में 3.5 प्रतिशत से 2023 में 1.0 प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान किया गया है।
- **मौद्रिक विकास- राजस्व में वृद्धि**
  - सरकार वित्त वर्ष 23 के लिए मौद्रिक घाटे का लक्ष्य हासिल करने के मार्ग पर
  - पिछले दो वर्षों में राजस्व में लगातार वृद्धि।
  - औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है।
  - जीडीपी के प्रतिशत की तुलना में सरकार के पूँजीगत व्यय में वृद्धि
  - अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले जीडीजी की तुलना में ऋण (%) में मामूली वृद्धि
  - विकास-ब्याज दर की बेहतर स्थिति ने सरकार के ऋण को सहनीय बनाए रखा है।
- **बाहरी क्षेत्र: सतर्क और आशावादी**
  - अप्रैल-दिसम्बर, 2022 के लिए व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा, जो कि अप्रैल-दिसम्बर, 2021 की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक रहा।
  - भारत, दुनिया में सेवा क्षेत्र के लिए 7वाँ सबसे बड़ा निर्यातक हैं।
  - 2022 में पूरी दुनिया में, अन्य देशों से सबसे अधिक धनराशि भारत में भेजी गई।
- **सेवाएँ- क्षमता के स्रोत**
  - वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि
  - जुलाई, 2022 से पीएमआई सेवाओं में महत्वपूर्ण विस्तारण देखा गया।
  - जुलाई, 2022 से सेवा क्षेत्र में क्रेडिट ग्रोथ में 16 प्रतिशत से अधिक वृद्धि
  - वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाईयों की घोषणा।
  - 2027 तक भारतीय ई-वाणिज्य बाजार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा, फेंशन, किराया और सामान्य वस्तुओं का।
- विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार में वृद्धि 2022 के 3.5 प्रतिशत के मुकाबले 2023 में 1.0 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहेगी, सर्वेक्षण ने इस तथ्य को रेखांकित किया है-
  - 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8 प्रतिशत रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है।

क्र.	क्षेत्र	2019-20	2020-21*	2021-22**	2022-23***	2023-24#
1.	**जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर** [प्रतिशत में]	3.7	-6.6	8.7	7.0	6.0-6.8
2.	**राजकोषीय घाटा** [जीडीपी का प्रतिशत]	4.7	9.2	6.7	6.4	--
3.	**विदेशी मुद्रा भण्डार** [बिलियन डॉलर में मार्च अंत]	478	577	607	563 [दिस., 2022]	--
4.	**सेवाएँ** [मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि]	6.3	-7.8	8.4	9.1	--
5.	**कृषि और संबंधित गतिविधियाँ** [मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि]	5.5	3.3	3.0	3.5	--
6.	**मुद्रा स्फीति** [उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित]	4.8	6.2	5.5	6.8 [अप्रैल-दिस., 2022]	--
7.	**मुद्रा स्फीति** [थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित]	1.7	1.3	13.0	11.5 [अप्रैल-दिस., 2022]	--

* संशोधित अनुमान, ** अनंतिम अनुमान, *** पहला अगिम अनुमान, # अनुमानित

केन्द्रीय बजट- 2023-24

- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023.24 पेश किया।

बजट की मुख्य बातें इस प्रकार से हैं-

- प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर ₹ 1.97 लाख हो गई है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है।
- वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7.400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं।
- उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।
- 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार।
- 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए।
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज।
- पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण।
- **बजट की सात प्राथमिकताएं 'सप्तऋषि'**। इनमें शामिल हैं- समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र।
- **आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम** का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य से किया जाएगा।
- वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा **157 चिकित्सा महाविद्यालयों** के साथ ही संस्थानों में **157 नए नर्सिंग कॉलेज** खोले जाएंगे।
- केन्द्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।
- पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया।
- **रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये** की पूंजीगत निधि का प्रावधानए जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।
- **शहरी अवसंरचना विकास कोष [यूआईडीएफ]** की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चेरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी।
- 5जी सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी।
- चक्रीय अर्थव्यवथा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का कम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीट नाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए **10,000** बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0** को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।
- **युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर** स्थापित किए जाएंगे।
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से **2 लाख करोड़ रुपये** का सम्पार्श्विक मुक्त गांरटीयुक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।
- कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों की त्वरित कार्रवाई के लिए एक **केन्द्रीय डाटा संसाधन** केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी।
- लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।
- युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी।
- भारत को **'श्री अन्न'** के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

- कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
- **पीएम मत्स्य संपदा योजना** की एक नई उप-योजना को 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इससे मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा।
- **कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसंरचना** को एग्री-टेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा।
- **सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम** जल्द ही शुरू होगा।
- औषधि निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- विकास संभावना एवं रोजगार सृजन, निजी निवेश में बढ़ती भीड़ और वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए 10 लाख करोड़ का पूंजी निवेश, जो निरंतर 3 वर्षों में 33 प्रतिशत की वृद्धि है।
- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए **500 प्रखंडों** को शामिल करते हुए **आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम** की शुरुआत हुई।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में **प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन** को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये।
- बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये का निवेशए जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपये शामिल है।
- अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया **अवसंरचना वित्त सचिवालय** स्थापित किया गया।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्थान के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे।
- भूगोलए भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक **राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय** की स्थापना की जाएगी।
- सतत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने और पेयजल के लिए टंकियों को भरने के लिए **भद्र परियोजना** के लिए केन्द्रीय मदद के रूप में **5300 करोड़ रुपये** दिए जाएंगे।
- पहले चरण में 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपीग्राफी संग्रहालय में '**भारत शेयर्ड रिपोजटरी ऑफ इनस्क्रिप्शंस**' की स्थापना।
- केन्द्र का '**प्रभावी पूंजीगत व्यय**' 13.7 लाख करोड़ रुपये।
- अवसंरचना में निवेश बढ़ाने और पूरक नीतिगत कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज रहित कर्ज को 1 और साल के लिए जारी रखा जाएगा।
- हमारे शहरों को '**भविष्य के स्थायी शहरों**' में बदलने के लिए राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधारों एवं कार्यों को प्रोत्साहन।
- सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीनयुक्त बनाने के लिए शहरों को तैयार किया जाएगा।
- लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केन्द्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच **आई-गोट कर्मयोगी** का शुभारंभ।
- सरकारी की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में 42 केन्द्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया।
- 'कृत्रिम बुद्धिमता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमता से भारत के लिए कार्य कराएं' के विजन को साकार करने के लिएए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी।
- व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी।
- स्थायी खाता संख्या '**पैन**' का इस्तेमाल विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा।
- न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से **ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3** शुरू किया जाएगा।
- एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने 2030 तक 5 **एमएमटी के वार्षिक** उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
- ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
- अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- लद्दाख से नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रूपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी।
- '**पृथ्वी माता के पुनरूद्धार**, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।

- मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो मेंग्रूव पौधारोपण के लिए '**तटीय पर्यावास** और ठोस आमदनी के लिए **मैंग्रूव पहल, मिश्टी** की शुरूआत की जाएगी।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत **हरित ऋण कार्यक्रम** को अधिसूचित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले।
- अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधताए कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।
- एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत कर कौशलवर्द्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने, एमएमएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना।
- **अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर** शुरू किया जाएगा।
- चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
- '**देखो अपना देश**' पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वयन स्थापित किया जाएगा।
- **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम** के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढ़ाचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- राज्यों के उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक **यूनिटी मॉल** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- वित्तीय सहायक सूचना की केन्द्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक **राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री** की स्थापना की जाएगी। इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगाए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा।
- जीआईएफटी आईएफएससी में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
- दोहरे विनियम से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
- आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकारियों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए **एकल खिड़की आईटी प्रणाली** की स्थापना की जाएगी।
- विदेशी बैंकों के आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति दी जाएगी।
- व्यापार पुनर्वित्त पोषण के लिए **एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था** की स्थापना की जाएगी।
- मध्यस्थ अनुषंगी सेवाओं के लिए और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससी, अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा।
- विदेशी व्युत्पन्न दस्तावेजों के वैध संविदाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- बैंक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियमए बैंकिंग कम्पनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।
- डिजिटल निरंतरता समाधान ढूढ़ने वाले देशों के लिए जीआईएफटी आईएफएससी में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम की जाएगी।
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुन: दावा कर सकते हैं, इसके लिए एक एकीकृत **आईटी पोर्टल** स्थापित किया जाएगा।
- आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजना, **महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र** शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ दो वर्षो की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर **2 लाख रुपये** तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।
- मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकत्तम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रूपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया।
- राज्यों के निमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किये जाने हैं, इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे परन्तु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तवित पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा।
- राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषी घाटे की अनुमति होगी जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।

संशोधित अनुमान 2022-23

- उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपये हैं।
- कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये हैं।
- राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है जो बजट अनुमान के अनुरूप है।

बजट अनुमान 2023-24

- बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 27ण्2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

- निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियाँ 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

प्रत्यक्ष कर

- प्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालन भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण तथा उन्हें युक्ति-संगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना।
- आयकर विभाग अनुपालन को आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास कर रहा है।
- करदाता सेवाओं में और सुधार करने के लिए करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फार्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है।
- नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को **5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये** कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में **7 लाख रुपये** तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
- नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में **स्लैबों की संख्या 6** से **घटाकर 5** कर दी गई और कर छूट की **सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये** कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

नई कर दरें-

कुल आय (रुपए)	दर (प्रतिशत)
3,00,000 तक	कुछ नहीं
3,00,001 से 6,00,000 तक	5
6,00,001 से 9,00,000 तक	10
9,00,001 से 12,00,000 तक	15
12,00,001 से 15,00,000 तक	20
15,00,000 से अधिक	30

- नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है।
    - नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती होगी।
    - गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।
    - नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा।
    - सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिए बढ़ी सीमाओं के लिए अनुमानित कराधान के लाभ लेने का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ी सीमा वर्ष के दौरान नगदी में ली गई कुल राशि के मामले में लागू होगी जो कुल सकल प्राप्तियों, टर्नओवर की **5 प्रतिशत** से अधिक नहीं होती है।
    - ऐसी नई सहकारी संस्थाएं जो नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में उपलब्ध **15 प्रतिशत** की कम कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए 31.3.2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू की हैं।
- प्राथमिक कृषि कॉपरेटिव सोसाइटी (पीएसीएस) और प्राथमिक कॉपरेटिव कृषि ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) को नगद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपये प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा का प्रस्ताव।
- सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नगदी निकासी पर 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।
- स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख **31.03.23 से बढ़ाकर 31.03.2024** तक करने का प्रस्ताव।
- स्टार्ट-अप की शेयरधारिता में परिवर्तन पर हानियों के अग्रेनयन के लाभ को निगमन के सात वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव।
- कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए धारा **54** और **54एच** के तहत आवासीय गृह मे किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को **10 करोड़ रुपये** करने का प्रस्ताव।
- दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी **जीवन बीमा पॉलिसियाँ** (यूलिप को छोड़कर) के लिए कुल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपये से अधिक है, तो केवल उन पॉलिसियों, जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपये तक है, से होने वाली आय पर छूट देने का प्रावधान। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर प्रदान की गई कर छूट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- **आयकर प्राधिकरण बोर्ड और कमीशन** जिसकी स्थापना केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा हाउसिंग, शहर का विकास, कस्बा और गांव के लिए नियामक और विकास गतिविधियों या कार्यों के लिए की गई हो उन्हें **आयकर से बाहर** रखने का प्रस्ताव।
- ऑनलाइन गेमिंग में टीडीएस 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयता को स्पष्ट करने का प्रस्ताव।
- गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को गोल्ड में परिवर्तित करने पर इसे पूंजीगत लाभ के तौर पर नहीं माना जाएगा।
- गैर-पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।
- मार्केट लिंकड डिबेन्चर से प्राप्त आय कराधान के अंतर्गत होगी।
- आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव।
- आईएफएससी, गिफ्ट सीटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
- आयकर अधिनियम की धारा 276ए के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2023 से गैर अपराधीकरण।
- अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किया गया भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव। अग्निवीरों की कुल आय में कटौती को अग्निवीरों को देने का प्रस्तावए जो उन्होंने अपना योगदान दिया है या केन्द्र सरकार ने इनकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांरित किया है।

अप्रत्यक्ष कर

- वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक **सीमा शुल्क** दरों की **संख्या** को **21 से घटाकर 13** किया गया।
- कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है जिसमें खिलौने, साइकिल, **ऑटोमोबाइल और नाफ्था** शामिल हैं।
- सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।
- बिजली से संचालित वाहन में लगने वाले ***लीथियम आयन बैटरी*** का उत्पादन करने वाले मशीनीरी/कैपिटल गुड्स पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 31.03.2024 तक किया गया।
- मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए, कुछ एक पूर्जों और कैमरा लैंसो जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम-आयान बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष लिए जारी रखना प्रस्तावित।
- टीवी पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के हीट क्वायलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- रसायन उद्योग में डिनेचई इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता हैं। इस बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव।
- घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा कायम रखने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरसपार पर बेसिक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।
- इपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरिन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव।
- प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एलजीडी) के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव।
- सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव।
- चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
- सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क छूट जारी।
- कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को जारी रखा गया।
- संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर, लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो करने का प्रस्ताव।
- विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) को तीन वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन

- सीमा शुल्क अधिनियमए 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से 9 महीने की समयसीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव।
- एंटी डम्पिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित प्रावधानों के दायरे और प्रायोजन को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
- सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरूआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा।
- कम्पाउडिंग कर राशि की वर्तमान 50 से 150 प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत किया जाएगा।

राजस्थान करंट G.K.
का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अवश्य पढ़ें
मूमल
राजस्थान वार्षिकांक
2023-24
नवीनतम संस्करण 17 अप्रैल, 2023 से उपलब्ध है-